

21011/1/2010-स्था (क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 28 अक्टूबर, 2012

28 अक्टूबर

कार्यालय जापन


विषय- पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति में विचार की गई निचली बेंचमार्क ग्रेडिंग की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के बारे में,

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 27 अप्रैल, 2010 के समसंख्यक कार्यालय जापन का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. दिनांक 27 अप्रैल, 2010 के ऊपर उल्लिखित कार्यालय जापन में, भारत संघ बनाम ए.के. गोयल और अन्य की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं० 15770/2009 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के आलोक में सभी मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गई थी कि देवदत्त मामले (2002 की सिविल अपील सं० 7631) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर जहां कहीं राहत देने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की गई है, ए. के. गोयल मामले में उच्चतम न्यायालय के नवीनतम आदेश न्यायालय के ध्यान में लाए जाएं।

3. उत्तम चन्द नाहटा मामले (2010 की विशेष अनुमति याचिका सिविल अपील सं० 29515) में दिनांक 20/24 दिसम्बर 2010 को आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय ने न केवल ए. के. गोयल की विशेष अनुमति याचिका का लेबल लगा दिया बल्कि निदेश दिया कि विभागीय पदोन्नति समिति की वे कार्यवाहियाँ जो केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद की विषयवस्तु थी, में यथास्थिति बनाए रखा जाए (प्रति संलग्न)। उत्तम चन्द नाहटा मामले में, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते समय अभिजित दस्तित्कार मामले 2009 (16) एस एस सी 146 का विधिवत उल्लेख किया है।

4. उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए यह बात दोहरायी जाती है कि देवदत्त के मामले में उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के आधार पर जहां कहीं राहत देने के लिए न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई हैं, उत्तम चन्द नाहटा के मामले (2010 की विशेष अनुमति याचिका सिविल अपील सं० 29515) में 20/24 दिसम्बर, 2010 के मामले के आदेश द्वारा, उच्चतम न्यायालय के आदेश न्यायालय के ध्यान में लाए जाएं। जबकि ऐसी सभी याचिकाओं पर उपर्युक्त रूप से प्रतिवाद किए जाने की अपेक्षा है, पुनरीक्षा याचिका दायर किए जाने हेतु "सीमावधि" का भी दृढ़ता से पालन किया जाए।



(मोहिन्दर कुमार)

निदेशक (ई-II)

दूरभाष- 23093180

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।

3. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
4. राज्यसभा सचिवालय।
5. लोक सभा सचिवालय।
6. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

- (क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालय।
- (ख) स्थापना अधिकारी तथा सचिव, ए.सी.सी. (10 प्रतियाँ)
- (ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी तथा अनुभाग।
- (घ) एन.आई.सी. (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), इस कार्यालय ज्ञापन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट [www.persmin.nic.in](http://www.persmin.nic.in) पर कार्यालय ज्ञापन और आदेश (स्थापना)- एसीआर के तहत डालने के लिए।